

Order No:-238R/2021-22



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016  
**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)**  
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.  
Tel.: 011-2695168, 8860748880  
Email- mpquota@kvs.gov.in  
Website: www.kvsangathan.nic.in

File No: 11-PUBOGEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-19.07.2021

**सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश**


माननीय सांसद **Dr. Abhishek Manu Singhvi** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या.922 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	SOMYA TIWARI	SH. ANIL KUMAR TIWARI MOB- 9339771049	4	BARRACKPORE
2	SHUBHAM PRASAD	SH. SANTOSH PRASAD MOB- 7980440685	4	BANDEL
3	SOURIK BASU	SH. SUDIPTA BASU MOB- 9231662609	1	BANDEL
4	LAKSHYA GUPTA	SH. SUMIT GUPTA MOB- 9434178575	1	BURDWAN
5	ISHANI GHOSH	SH. HARAN GHOSH MOB- 6291906616	1	BALLYGAUNGE
6	HARSH BARDHAN	SH. DEBABRATA KUMAR BARDHAN MOB- 9433069259	1	BAMANGACHI
7	MOHAMMAD AZLAAN MISBAH	MOHAMMAD MISBAHUDDIN MDB- 9123916607	1	FORT WILLIAM
8	MOULIK PAL	SH. SHIBEN PAL MOB- 9475266875	1	FORT WILLIAM
9	MAHEE DAS	SH. SANKAR DAS MOB- 9073868910	1	BALLYGAUNGE
10	SHREYASH SHAW	SH. SUNIL KUMAR SHAW MOB- 8910134363	2	ARMY BARRACKPORE

*P. Mahan* कृ. पृ. उ.

**निर्देश:-**

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)

संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

**प्रतिलिपि:**

1. Dr. Abhishek Manu Singhvi माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **KOLKATA** संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाई हेतु। (ई. मेल)